न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1695-दो/2005 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-9-2005- पारित द्वारा - आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना - प्रकरण कमांक 132/2004-05 निगरानी

1- रमेशकुमार 2- किसनकुमार
पुत्रगण आशाराम
3- महिला काशीवाई पत्नि आशाराम,
ग्राम सुकाण्ड़ तहसील मेहगांव जिला भिण्ड ----आवेदक

विरूद्ध

1- आशाराम 2- शिवदयाल
3- बाबूराम 4- राधाकृष्ण
पुत्रगण शीतलप्रसाद
ग्राम सुकाण्ड तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक क-2 के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 4-2-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 132/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.9.05 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क-2 शिवदयाल ने विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम सुकाण्ड स्थित भूमि सर्वे नंबर 964, 1047, 1044, 1045, कुल किता चार कुल रकबा 1.665 हैक्टर पर तहसील न्यायालय में नामान्तरण की मांग की, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्तांकि भूमि पैत्रिक संपत्ति है जिसे अनावेदक कमांक 1 आशाराम को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। स्वत्व का वाद व्यवहार न्यायालाय में चल रहा है इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश तक नामान्तरण कार्यवाही रोकी जावे। तहसील न्यायालय ने आपत्ति अमान्य कर दी, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 80/04-05 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 1-9-2005 से निगरानी निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 132/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 22.9.05 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक क-2 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ तर्कों के दौरान अनावेदक कमांक-2 के अभिभाषक ने द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 19/2008 ए में पारित निर्णय दिनांक 20-8-2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर तद्नुसार निर्णय किये जाने की प्रार्थना की। प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि तहसील न्यायालय व्दारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने के वाद कलेक्टर भिण्ड , आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना एंव इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण प्रचलित रहे है तथा मान0 अपर

जिला न्यायाधीश भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2008 ए में पारित आदेश दिनांक 20-8-2008 अनुसार कार्यवाही भी विचारण न्यायालय में होना है जहॉ पर पक्षकार व्यवहार न्याययालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी निरर्थक है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर